

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—28/2019 (2019/00020) वादपत्र

अनवान

1. छोगालाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. किशना पिता गोपी लाल जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शान्तिलाल पिता गोपी लाल जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कंकु बेवा गोपी लाल जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मिटुलाल पिता शेषमल जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जमना पुत्री गोपी लाल जाट निवासी सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसंमद
6. देवीलाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. दीपा पिता चेना जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. मनोहरलाल बापना -

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 02.09.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 04.02.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का टुगंच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की संयुक्त खाते में निम्न कृषि आराजी संख्या 206 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 211 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 212 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 213 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 220 रकबा 0.10 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.97 है0 भूमि में वादी का 7/36 हिस्से का कब्जे के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 06.08.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जर्नल डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण



अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 206/3 रकबा 0.08 है, आराजी संख्या 220 रकबा 0.10 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है भूमि छोगालाल पिता हजारी जाट सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 206/1 रकबा 0.07 है, आराजी संख्या 207 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 208 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 211 रकबा 0.16 है, आराजी संख्या 212 रकबा 0.06 है, आराजी संख्या 213 रकबा 0.34 है कुल किता 6 कुल रकबा 0.77 है भूमि किशना शान्तिलाल पिता गोपी कंकु बेवा गोपी मांगी जमना पुत्रीयां गोपी 2/7 देवीलाल पिता हजारी 18/77 दीपा पिता चेना 37/77 जाट सा. देह खातेदार रहन वीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा हिस्सा देवीलाल पर बदस्तुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 206/2 रकबा 0.02 है सभी खातेदारों के शामलाती बदस्तुर रास्ता उपयोग हेतु रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*  
02.09.2021  
(सुन्दरलाल बम्बोडा) अधिकारी  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.  
मुकदमा नम्बर:—28/2019 (2019/00020) वादपत्र

अनवान

1. छोगालाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. किशना पिता गोपी लाल जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शान्तिलाल पिता गोपी लाल जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कंकु बेवा गोपी लाल जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मिटुलाल पिता शेषमल जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जमना पुत्री गोपी लाल जाट निवासी सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसंमद
6. देवीलाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. दीपा पिता चेना जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 206/3 रकबा 0.08 है, आराजी संख्या 220 रकबा 0.10 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है भूमि छोगालाल पिता हजारी जाट सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 206/1 रकबा 0.07 है, आराजी संख्या 207 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 208 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 211 रकबा 0.16 है, आराजी संख्या 212 रकबा 0.06 है, आराजी संख्या 213 रकबा 0.34 है कुल किता 6 कुल रकबा 0.77 है भूमि किशना शान्तिलाल पिता गोपी कंकु बेवा गोपी मांगी जमना पुत्रीयां गोपी 2/7 देवीलाल पिता हजारी 18/77 दीपा पिता चेना 37/77 जाट सा. देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा हिस्सा देवीलाल पर बदस्तुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 206/2 रकबा 0.02 है सभी खातेदारों के शामिलती बदस्तुर रास्ता उपयोग हेतु रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 02.09.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



*(Signature)*  
02-09-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा